भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 737

29 नवंबर, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

खाद्य सुरक्षा उल्लंघन

737. श्री एम. के. राघवन:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पाया है कि सख्त कानूनों की कमी के कारण भारत में खाद्य सुरक्षा कानूनों का उल्लंघन हो रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) खाद्य सुरक्षा उल्लंघनों की जांच करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए/उठाए जाने के लिए प्रस्तावित उपाय क्या हैं;

(ग) क्या देश में खाद्य पदार्थों को तैयार करने में कुछ ऐसे पदार्थों के उपयोग की अभी भी अनुमति है जो यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका सहित दुनिया के अन्य भागों में प्रतिबंधित हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस समस्या के समाधान के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

<u>उत्तर</u>

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) और (ख): भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) की स्थापना वर्ष 2008 में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य खाद्य पदार्थों के लिए विज्ञान आधारित मानक निर्धारित करना तथा मानव उपभोग के लिए सुरक्षित एवं पौष्टिक भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु उनके विनिर्माण, भंडारण, वितरण, बिक्री और आयात को विनियमित करना है।

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम में घटिया भोजन, गलत ब्रांड वाले भोजन और असुरक्षित भोजन के संबंध में दंडात्मक कार्रवाई के लिए विशिष्ट प्रावधान शामिल हैं। एफएसएसएआई अपने क्षेत्रीय कार्यालयों और राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से खाद्य उत्पादों की नियमित निगरानी, निरीक्षण और यादृच्छिक नमूनाचयन करता है। ऐसे मामलों में जहां खाद्य नमूने अनुरूप नहीं पाए जाते हैं, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, नियमों और विनियमों के प्रावधानों के अनुसार दोषी खाद्य व्यवसाय संचालकों के विरूद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाती है। इसके अलावा, दूरदराज के क्षेत्रों में भी बुनियादी परीक्षण सुविधाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए, एफएसएसएआई ने फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स (एफएसडब्ल्यू) नामक मोबाइल खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएं प्रदान की हैं।

विभिन्न खाद्य सुरक्षा एवं मानक विनियमों के प्रवर्तन के दौरान विश्लेषण किए गए और अनुरूप नहीं पाए गए विभिन्न नमूनों का विवरण नीचे दिया गया है:-

क्र.सं.	**वर्ष**	**विश्लेषित नमूनों की संख्या**	**अनुरूप नहीं पाए गए नमूनों की संख्या**	**अनुरूप नहीं पाए गए नमूनों का प्रतिशत (%)**
1	2020-21	107829	28347	26.28
2	2021-22	144345	32934	22.81
3	2022-23	177511	44626	25.13
4	2023-24	170513	33808	19.82

(ग) और (घ): एफएसएसएआई जोखिम मूल्यांकन के आधार पर खाद्य पदार्थों के मानक तैयार करता है। खाद्य उत्पादों में उपयोग के लिए अनुमत्य पदार्थ विनियामक निकायों के जोखिम मूल्यांकन और देश की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार भिन्न हो सकते हैं।

भारत में, खाद्य सुरक्षा और मानक विनियमों के अनुसार खाद्य सामग्री बनाने में उपयोग के लिए अनुमत्य और निषिद्ध पदार्थ स्वतंत्र जोखिम मूल्यांकन निकायों अर्थात वैज्ञानिक पैनल और वैज्ञानिक समिति द्वारा देश की विशिष्ट आवश्यकताओं पर विचार करते हुए दी गई वैज्ञानिक सलाह पर आधारित हैं।

*****